असाधारण महासभा की सूचना

Notice for Extraordinary General Meeting

15 मार्च 2013, मंगलूर

15TH MARCH 2013, MANGALORE

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

A Premier Public Sector Bank

कार्पोरेशन बैंक
प्रधान कार्यालय: मंगलादेवी मंदिर मार्ग
मंगलूर – 575 001



Corporation Bank
Head Office : Mangala Devi Temple Road
Mangalore – 575 001

विषय सूची
CONTENTS

	पृष्ठ संख्या Page No.
सूचना	1
NOTICE	2
टिप्पणियां	3
NOTES	4
व्याख्यात्मक कथन	5
EXPLANATORY STATEMENT	6
उपस्थिति पत्रक – सह–प्रवेश पत्र	13
ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS	
प्रॉक्सी फार्म	15
PROXY FORM	16

कार्पोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालय : मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूर – 575 001
द.क. ज़िला, कर्नाटक राज्य, भारत

सूचना

कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 1998 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्पोरेशन बैंक के शेयरधारकों की असाधारण महासभा शुक्रवार, 15 मार्च, 2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, पांडेश्वर, मंगलूर – 575 001 में संपन्न होगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर विचार विमर्श किया जाएगा :

मद संख्या 1

निम्नलिखित पर एक विशेष संकल्प के रूप में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन सहित या रहित पारित करना :

''**संकल्प किया जाता है कि** बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3(2बी) (ख), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खण्ड 20, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए ईक्विटी सूचीकरण करार के खण्ड 23 (उसमें किसी आशोधन या पुनरधिनियमन सहित) के प्रावधानों के अनुसरण में और कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 4ए के प्रावधानों तथा भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या संबंधित अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य नियम/अधिसूचनाएं/परिपत्र/मार्गनिर्देश, यदि कोई है तो, के अनुसार लागू हद तक और कार्पोरेशन बैंक (**बैंक**) के निदेशक मण्डल (यत्पश्चात् ''**निदेशक मंडल**'' कहा गया है, जिस शब्द में बोर्ड द्वारा इस विनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित उसके अधिकारों का प्रयोग करने हेतु गठित/गठित की जानेवाली समिति (याँ) शामिल समझा जाएगा, अनुमोदन, सहमति, अनुमति और मंजूरी के अधीन, एतद्द्वारा बैंक की ओर से प्रति ईक्विटी शेयर रु. 416.32 (रुपए चार सौ सोलह और पैसे बत्तीस मात्र) के प्रीमियम पर प्रत्येक रु.10/- (रुपए दस मात्र) के अर्थात् रु. 426.32 (रुपए चार सौ छब्बीस और पैसे बत्तीस मात्र) की इश्यू कीमत पर बैंक के 47,85,137 ईक्विटी शेयर जिसकी कुल राशि रु. 203,99,99,606/- (रुपए दो सौ तीन करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हज़ार छह सौ छह मात्र) है, समय-समय पर संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009, (''**सेबी आईसीडीआर विनियम**'') के अध्याय VII के अनुसार भारत सरकार (अर्थात् भारत के राष्ट्रपति) को अधिमान शेयर के रूप में पेशकश करने, जारी करने और आबंटित करने के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल को एतद्द्वारा दी जाती है।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार ईक्विटी शेयरों के मूल्य के निर्धारण के लिए नियत तारीख 13 फरवरी, 2013 होगी।

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड को अपेक्षितानुसार प्रस्ताव में आशोधन करने का अधिकार होगा या भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्स्चेंज, जहाँ बैंक के शेयर सूचिबद्ध हैं, या उसको जारी करने, आबंटित करने तथा सूचिबद्ध करने के अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी देने के समय ऐसे अन्य उपर्युक्त प्राधिकारियों द्वारा लागू किए गए आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार होगा।

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** इस संकल्प के अनुसरण में अधिमान आधार पर जारी और आबंटित किए जानेवाले नये ईक्विटी शेयर डीमैट रूप में होंगे और सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VII के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार निश्चित अवरुद्धता अवधि (लॉक इन) अपेक्षाओं के अधीन होंगे और बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से (लाभांश सहित) सममूल्य होंगे और उन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए जाएंगे जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य हेतु निदेशक मंडल को ऐसी समस्त कार्रवाई, कार्य, मामले और काम करने हेतु तथा उक्त ईक्विटी शेयरों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी प्रश्न, कठिनाई और संदेश को निपटाने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है जो उसके पूर्ण विवेक में आवश्यक, उचित और वांछनीय समझा जाए। इसके अलावा उसे ऐसी समस्त कार्रवाई, कार्य,

CORPORATION BANK

HEAD OFFICE: MANGALA DEVI TEMPLE ROAD, MANGALORE – 575 001
D.K. DISTRICT, KARNATAKA STATE, INDIA

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of CORPORATION BANK will be held on Friday, the 15th day of March, 2013 at 11.00 a.m. at Millennium Building, Corporation Bank, Head Office, Mangala Devi Temple Road, Pandeshwar, Mangalore – 575 001, to transact the following business:

Item No. 1 To consider and if thought fit, to pass with or without modification the following as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of Section 3(2B)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (the Act), Clause 20 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (the Scheme), Clause 23 & other related provisions of the Listing Agreement for Equity entered into with the Bombay Stock Exchange Limited and the National Stock Exchange of India Limited (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and the other Rules/Notifications/Circulars/Regulations/Guidelines if any prescribed by the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India or any other relevant authority, from time to time to the extent applicable and subject to approvals, consents, permissions and sanctions, which may be agreed to by the Board of Directors of the Corporation Bank (the **Bank)** consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the **"Board",** which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this Regulation) to create, offer, issue and allot upto 47,85,137 equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at a premium of Rs. 416.32 (Rupees Four hundred sixteen and paise thirty two only) per equity share i.e. issue price of Rs. 426.32 (Rupees Four hundred twenty six and paise thirty two only) as determined by the Board in accordance with Chapter VII of the Securities Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (the **SEBI ICDR Regulations**) and aggregating upto Rs. 203,99,99,606/- (Rupees Two hundred three crore ninety nine lakh ninety nine thousand six hundred six only) on preferential basis to Government of India (i.e. President of India)."

"RESOLVED FURTHER THAT the relevant date for the determination of the price of the equity shares shall be 13th February, 2013 in accordance with the SEBI ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the new Equity Shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under the SEBI ICDR Regulations. The Equity shares so allotted on Preferential basis shall rank pari passu in all respects (including Dividend) with the existing Equity Shares of the Bank and be listed on Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its

मामले और काम आवश्यक, वांछनीय और अनिवार्य दस्तावेज़ों और कागज़ात को अंतिम रूप देकर निष्पादित करने जो कि निदेशक मंडल के पूर्ण विवेक में उपर्युक्त, उचित और वांछनीय हों, इसके लिए उन्हें शेयरधारकों से अतिरिक्त सहमति या अनुमोदन माँगना न पड़े और वे इस प्रकार प्राधिकृत हों मानो इस संकल्प के प्राधिकार से शेयरधारकों ने उन्हें स्पष्टतया अनुमोदन दिया हो।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बैंक के निदेशक मण्डल को पूर्वोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए बैंक के निदेशकों की समिति को अपने सभी या किसी अधिकार को प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा।''

टिप्पणियाँ

1. **व्याख्यात्मक कथन**

 बैठक की कार्यवाही के संबंध में भौतिक तथ्यों का व्याख्यात्मक कथन इसके साथ संलग्न है।

2. **मताधिकार**

 अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2ई) के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा प्रतिनिधिक नए बैंक का कोई भी शेयरधारक उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा।

 उपरोक्त के अधीन, कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 68 के अनुसार, शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को हस्त प्रदर्शन पर एक मत होगा और मतदान के मामले में केन्द्र सरकार के अलावा कुल मताधिकार के अधिकतम 10% के अधीन उसके द्वारा धारित हरेक शेयर हेतु एक मत होगा।

 कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नामों में है, तो जहाँ तक मतदान का सवाल है, रजिस्टर में पहले नामित व्यक्ति उसके एकमात्र शेयरधारक माने जाएंगे।

3. **प्रॉक्सी की नियुक्ति**

 जिन शेयर धारकों को बैठक में भाग लेने का अधिकार हैं, उन्हें अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है तथा ऐसे प्रॉक्सी का कार्पोरेशन बैंक का शेयर धारक होना आवश्यक नहीं है।

 तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

 प्रॉक्सी के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी जो कार्पोरेशन बैंक का एक अधिकारी या कर्मचारी हो।

 विनियम 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी लिखत देनेवाला, लिखत से संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा।

 प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु प्रॉक्सी फार्म बैठक प्रारंभ होने से **कम-से-कम चार दिन** पहले अर्थात् **शनिवार, 09 मार्च, 2013 को** कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् **दोपहर 1.30 बजे** से पहले बैंक के प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूर - 575 001, कर्नाटक राज्य में प्राप्त हो जानी चाहिए।

4. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

 बैंक के शेयरधारक कंपनी निकाय का विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, असाधारण महासभा में भाग लेने और मतदान करने हेतु तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिस बैठक में वह पारित किया गया हो, सत्य प्रति प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तिथि से **कम-से-कम चार दिन पहले** अर्थात् **शनिवार, 09 मार्च, 2013** को कार्यसमय की समाप्ति अर्थात् **दोपहर 1.30 बजे** तक या उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, कार्पोरेशन बैंक, निवेशक सेवा विभाग, प्र.का. मंगलूर - 575 001, कर्नाटक को प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

5. **उपस्थिति पत्र-सह-प्रवेश पत्र**

 शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ अनुबंधित है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उसे भरकर उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उक्त उपस्थिति पत्र बैठक स्थान पर सौंप दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पत्र-सह-प्रवेश पत्र में यथास्थिति **"प्रॉक्सी"** या **"प्राधिकृत प्रतिनिधि"** जैसा भी मामले हो, उल्लिखित करें।

6. शेयर धारक कृपया ध्यान दें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार-कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते कार्पोरेशन बैंक

(एस. के .दाश)
कंपनी सचिव

स्थान : मंगलूर
दिनांक : 13-02-2013

absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it to a committee of Directors of the Bank to give effect to the aforesaid Resolution".

NOTES:

1. **Explanatory Statement**
 The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. **Voting Rights**
 In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

 Subject to the above, as per Regulation 68 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him/her subject to maximum of 10% of the total voting rights other than the Central Government.

 As per Regulation 10 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

3. **APPOINTMENT OF PROXY**
 A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

 However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting.

 No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Corporation Bank.

 As per the Regulations 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

 The proxy form, in order to be valid and effective, must be received by the Bank at its Investor Services Department, Head Office at Mangala Devi Temple Road, Mangalore – 575 001, Karnataka State, **not later than FOUR DAYS** before the date of the meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. **1.30 p.m. of Saturday, 9th March, 2013.**

4. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE**
 No person shall be entitled to attend or vote at the Extraordinary General Meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the Company Secretary, Corporation Bank, Investor Services Department, H.O., Mangalore – 575 001, Karnataka State **not later than FOUR DAYS** before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e. **1.30 p.m. of Saturday, 9th March, 2013.**

5. **ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS**
 For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/ Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as **"Proxy"** or **"Authorized Representative"** as the case may be.

6. Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK

(S. K. DASH)
Company Secretary

Place : Mangalore
Date : 13-02-2013

व्याख्यात्मक कथन

1. बैंक बैंकिंग और संबंधित क्रियाकलापों के कारोबार में है । संप्रति बैंक की प्राधिकृत पूँजी रु.3000 करोड़ (रुपए तीन हज़ार करोड़ मात्र) है । 31 मार्च, 2012 को बैंक की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी रु.148.13 करोड़ है।

2. प्रारंभिक पब्लिक ऑफर के समय आपके बैंक का पूँजी आधार रु.82.00 करोड़ था जिसमें प्रत्येक रु.10/- के 8,20,00,000 ईक्विटी शेयर थे । वर्ष 1997 में आपके बैंक ने रु.70/- के प्रीमियम पर प्रत्येक रु.10/- के 3,80,00,000 ईक्विटी शेयरों के प्रारंभिक पब्लिक ऑफर (आईपीओ) द्वारा अतिरिक्त पूँजी जुटाई थी ।

 इसके अलावा बैंक ने वर्ष 2001 में भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमान इश्यू द्वारा रु.186/- के प्रीमियम पर प्रत्येक रु.10/- के 2,34,40,000 ईक्विटी शेयर जारी किए थे ।

 इसके अलावा बैंक ने वर्ष 2011 में रु.648.49 के प्रीमियम पर प्रत्येक रु.10/- के 46,92,554 ईक्विटी शेयर भारत सरकार को अधिमान आबंटन के अंतर्गत आबंटित करते हुए अतिरिक्त पूँजी जुटाई।

 वर्तमान में आपके बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता रु.86.69 करोड़ है जो बैंक की प्रदत्त पूँजी का 58.52% है । 31 दिसंबर, 2012 को जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजीगत निधियाँ निम्नानुसार हैं :

विवरण (यथा 31-12-2012)	राशि (रु. करोड़ में)	जोखिम भारित आस्ति से पूँजीगत निधियों का %
जोखिम भारित आस्तियाँ	**111035.95**	
टियर - I पूँजी	8963.97	8.08
टियर - II पूँजी	4989.46	4.49
कुल पूँजीगत निधियाँ	13953.43	12.57

 बैंक द्वारा किए गए अनुमानों के अनुसार, 31 मार्च, 2013 को ईक्विटी से टियर I पूँजी में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार के पक्ष में ईक्विटी के अधिमान्य आबंटन द्वारा रु.204 करोड़ (रुपए दो सौ चार करोड़ मात्र) की हद तक पूँजी लगाने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है।

 वर्तमान संकल्प **एक विशेष संकल्प** के रूप से पारित करने का प्रस्ताव है ताकि बैंक का निदेशक मण्डल उपर्युक्त अधिमान इश्यू कर सके।

 सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित अधिमान इश्यू से संबंधित निम्नलिखित ब्योरे प्रकट किए जाते हैं :

 I. **प्रस्तावित अधिमान इश्यू का उद्देश्य**

 पिछले कई वर्षों से बैंक 20% की औसत वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है। दीर्घावधि स्रोतों के द्वारा कारोबार में विस्तार करने हेतु तथा बोर्ड के निर्णयानुसार तथा पूँजी पर्याप्तता से संबंधित बेसल (II व III) अपेक्षाओं का पालन करने के लिए, बैंक सामान्य उधार प्रयोजनों हेतु निधियों की बढ़ती अपेक्षा को पूरा करने के उद्देश्य से, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 **(सेबी आईसीडीआर विनियम)** के विनियम 76, अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित रु.426.32 की कीमत पर प्रवर्तकों को अधिमान आधार पर 47,85,137 ईक्विटी शेयर तक अधिमान इश्यू द्वारा जारी करते हुए निधियों को जुटाने का प्रस्ताव रखता है ।

 इस प्रकार अधिमान आबंटन द्वारा दी जानी वाली पूँजी का उपयोग किसी भी रूप में, किसी अनुषंगी या संयुक्त उद्यम में निवेश करने के लिए बैंक द्वारा नहीं किया जाएगा।

 II. **उक्त ऑफर हेतु अभिदान करने के लिए प्रवर्तकों/निदेशकों/प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों का प्रस्ताव:**

 निम्नलिखित खण्ड (V) के अनुसार प्रवर्तक के अलावा किसी निदेशक या प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति का उक्त ईक्विटी शेयरों में अभिदान करने का उद्देश्य नहीं है ।

EXPLANATORY STATEMENT

The Bank is in the business of the banking and its related activities. Presently, the Authorised Capital of the Bank is Rs. 3000 crore (Rupees Three thousand crore only). The Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on 31st March, 2012 is Rs.148.13 crore.

At the time of the Initial Public Offer, your Bank had a Capital base of Rs. 82.00 crore consisting of 8,20,00,000 equity shares of Rs.10/- each. In the year 1997, your Bank had raised additional capital by way of Initial Public Offer (IPO) consisting of 3,80,00,000 equity shares of Rs. 10/- each at a premium of Rs.70/-.

The Bank further issued 2,34,40,000 Equity Shares of Rs.10/- each for cash at a premium of Rs.186/- through a Preferential issue to Life Insurance Corporation of India in 2001.

In the year 2011, the Bank further issued 46,92,554 equity shares of Rs.10/- each for cash at a premium of Rs. 648.49 on Preferential basis to Government of India.

Presently, the shareholding of Government of India in your Bank is Rs. 86.69 crore, which constitute 58.52% of total paid-up capital of the Bank. The Capital fund to Risk Weighted Assets as on December 31, 2012 is as under.

Particulars (As on 31-12-2012)	Amount (Rs. in crore)	% of capital funds to risk weighted asset
Risk Weighted Assets	**111035.95**	
Tier-I Capital	8963.97	8.08
Tier-II Capital	4989.46	4.49
Total Capital Funds	13953.43	12.57

To augment Tier I Capital from Equity as on 31st March, 2013 as per the projections made by the Bank, the Government of India has decided to infuse capital to the extent of Rs. 204 crore (Rupees Two hundred four crore only) by way of preferential allotment of equity in favour of the Government of India.

The present resolution is proposed to be passed as a special resolution in order to enable the Board of Directors of the Bank to make the above-mentioned preferential issue.

The following details of the proposed preferential issue are disclosed in accordance with the provisions of SEBI ICDR Regulations:

I. **The Objects of the proposed Preferential Issue :**
The Bank is growing at an average growth rate of around 20% over the last many years. In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources and for general lending purposes as may be decided by the Board as also to comply with BASEL (II & III) requirements relating to capital adequacy, the Bank proposes to raise funds by way of Preferential issue of upto 47,85,137 equity shares at a price of Rs.426.32 determined in accordance with the provisions of Regulation 76, Chapter VII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009, as amended from time to time, ("**SEBI ICDR Regulations**").

The capital to be raised through this preferential allotment of equity will not be used by the Bank for making investment, in whatever form, in any of its subsidiaries, joint ventures etc.

II. **Proposal of the Promoters / Directors / Key Management Persons of the issue to subscribe to the offer:**
None of the Directors or Key Management persons other than Promoter of the Bank i.e. Government of India as mentioned in Clause (V) below intends to subscribe to the equity shares.

III. **प्रस्तावित अधिमान ऑफर से पहले और बाद में शेयरधारिता पैटर्न :**

क्र. सं.	शेयरधारकों का नाम	शेयरों की संख्या के अनुसार आबंटन से पूर्व	आबंटन से पूर्व प्रदत्त पूँजी का %	शेयरों की संख्या के अनुसार आबंटन के बाद	आबंटन के बाद प्रदत्त पूँजी का %
1.	प्रवर्तक–भारत के राष्ट्रपति	8,66,92,554	58.52	9,14,77,691	59.82
2.	अन्य शेयरधारक	6,14,36,700	41.48	6,14,36,700	40.18
3.	कुल (1+2)	14,81,29,254	100.00	15,29,14,391	100.00

IV. **अधिमान इश्यू पूरा करने की समयावधि:**

शेयरधारकों द्वारा संकल्प पारित करने के 15 दिनों के भीतर आबंटन को पूरा किया जाएगा बशर्ते कि आबंटन का समय ऐसे आबंटन हेतु किसी विनियामक प्राधिकारी, यदि कोई, से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु लिए जानेवाले समय तक बढ़ाया जाएगा ।

V. **प्रस्तावित आबंटितियों की पहचान और उनके द्वारा अधिमान इश्यू के पश्चात धारित प्रतिशतता और अधिमान इश्यू के परिणाम स्वरूप इश्यूकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन, यदि हो :**

प्रस्तावित आबंटितियों की पहचान	शेयरों की संख्या के अनुसार आबंटन से पूर्व	आबंटन से पूर्व प्रदत्त पूँजी का %	अधिमान आधार पर आबंटित किए जाने वाले ईक्विटी शेयरों की सं.	शेयरों की संख्या के अनुसार आबंटन के बाद	आबंटन के बाद प्रदत्त पूँजी का %	आबंटन के बाद वृद्धिशील %
भारत के राष्ट्रपति	8,66,92,554	58.52	47,85,137	9,14,77,691	59.82	1.30

बैंक के वर्तमान प्रवर्तक, अर्थात् भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) बैंक पर अपना नियंत्रण जारी रखेंगे और प्रस्तावित अधिमान आबंटन के परिणामस्वरूप बैंक के प्रबंधन/नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

VI. **प्रस्तावित अधिमान इश्यू का मूल्यन :**

इश्यू मूल्य सेबी संशोधित आईसीडीआर विनियमों के विनियम 76, अध्याय VII के अनुसार निर्धारित किया गया है।

परिणामी ईक्विटी शेयरों का इश्यू मूल्य निर्धारित करने हेतु ''संबंधित तारीख'' 13 फरवरी, 2013 होगी, जो अपेक्षित बहुमत के सदस्यों द्वारा इस संकल्प को पारित करने की तारीख अर्थात् 15 मार्च, 2013 से 30 दिन पूर्व तारीख है ।

बैंक के ईक्विटी शेयर छब्बीस हप्तों से अधिक समय से सूचीबद्ध हैं और तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 76(3) और 78(5) लागू नहीं है।

VII. **आशय–पत्र:**

आपके बैंक को संदर्भ संख्या एफ सं. 11/6/2012–बीओए दिनांक 17 जनवरी, 2013 द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग से संसूचना प्राप्त हुई है कि भारत सरकार (अर्थात् भारत के राष्ट्रपति) के पक्ष में ईक्विटी के अधिमान्य आबंटन द्वारा रु.204 करोड़ (रुपए दो सौ चार करोड़ मात्र) की हद तक पूँजी लगाने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है।

VIII. **सांविधिक लेखा–परीक्षकों से प्रमाणन :**

प्रस्तावित अधिमान इश्यू पर विचार करने के लिए सांविधिक लेखा–परीक्षकों से यह प्रमाणित करते हुए प्राप्त प्रमाण–पत्र शेयरधारकों की असाधारण महासभा में रखा जाएगा कि उक्त इश्यू सेबी (आईसीडीआर) विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार किया जा रहा है । उक्त प्रमाण–पत्र की एक प्रति 15 मार्च, 2013 को असाधारण महासभा में निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराई जाएगी ।

IX. **निश्चित अवरुद्धता अवधि :**

प्रवर्तकों अर्थात् भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को पूर्ण अधिमान आधार पर जारी किए जानेवाले प्रस्तावित ईक्विटी शेयर तथा के लिए आबंटन की तारीख से छः महीने लिए निश्चित अवरुद्धता अवधि होगी तथा प्रवर्तकों को अर्थात् भारत सरकार को अधिमान आधार पर जारी करने हेतु प्रस्तावित ईक्विटी शेयर आबंटन की तारीख से तीन वर्ष के लिए निश्चित अवरुद्धता अवधि के अधीन होगी।

III. **Shareholding Pattern before and after the proposed Preferential Offer:**

Sl. No.	Name of Shareholders	Pre-allotment in terms of No. of shares	% of Pre-allotment Paid-up Capital	Post allotment in terms of No. of Shares	% of Post- allotment Paid-up Capital
1.	Promoter - President of India	8,66,92,554	58.52	9,14,77,691	59.82
2.	Other Shareholders	6,14,36,700	41.48	6,14,36,700	40.18
3.	Total (1+2)	14,81,29,254	100.00	15,29,14,391	100.00

IV. **The timeline within which the Preferential issue shall be completed:**

The allotment of equity shares on Preferential basis shall be made within 15 days of the passing of the resolution by the shareholders, provided the time for allotment shall be extended by the time taken for obtaining approval for such allotment by any regulatory authority if any.

V. **The identity of the Proposed Allottees and the percentage of post Preferential Issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue :**

Identity of the Proposed Allottee	Pre-allotment in terms of No. of shares	% of the Pre-allotment Paid up Capital	No. of Equity shares to be allotted on Preferential basis	Post allotment in terms of No. of shares	% of Post allotment Paid-up Capital	Incremental % post allotment
President of India	8,66,92,554	58.52	47,85,137	9,14,77,691	59.82	1.30

The existing promoters of the Bank i.e. Government of India (the President of India) will continue to vest their control over the Bank and there will not be any change in the management/control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment .

VI. **Pricing of the proposed Preferential Issue:**

The Issue Price has been determined in accordance with Regulation 76, Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations as amended upto date.

The "relevant date" for determining the issue price of the resultant equity shares is 13th February, 2013, being the date which is 30 days prior to the date for passing this resolution by requisite majority of members i.e. 15th March, 2013.

The equity shares of the Bank have been listed for more than twenty six weeks and accordingly, provisions of Regulation 76(3) and 78(5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.

VII. **Letter of Intent**

Your Bank has received a communication vide reference Number F.No. 11/6/2012-BOA dated 17th January, 2013 from the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, agreeing to infuse to the extent of Rs. 204 Crore (Rupees two hundred four crore) by way of preferential allotment of equity shares in favour of the Government of India, i.e. President of India.

VIII. **Certification from Statutory Auditors:**

A Certificate from the Statutory Auditors shall be placed before the Extraordinary General Meeting of the Shareholders, considering the proposed preferential issue, certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of the SEBI ICDR Regulations. A copy of the said certificate will be made available for inspection at the Extraordinary General Meeting on 15th March, 2013.

IX. **Lock-in period:**

The entire pre-preferential holding of Government of India (President of India) will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of allotment of equity shares and the equity shares proposed to be issued on preferential basis to the Promoters i.e. Government of India shall be subject to a lock-in period of three years from the date of allotment.

X. भारत सरकार के सभी शेयर डीमैट रूप में होंगे और स्टॉक एक्स्चेंजों, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध है, में निर्धारित सूचीकरण करार में विनिर्दिष्टानुसार ईक्विटी सतत सूचीकरण के शर्तों के अनुसार करती है।

XI. भारत सरकार ने निर्धारित तारीख से पूर्व छः महीनों के दौरान बैंक के किसी ईक्विटी शेयर का विक्रय नहीं किया है।

XII. उपर्युक्तानुसार जारी ईक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के सममूल्य पर होंगे।

XIII. भारत में बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किए गए विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों के साथ बैंक द्वारा निष्पादित सूचीकरण करार के खण्ड 23 में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसा उपबंध है कि जब अतिरिक्त शेयर आबंटित करते हुए बैंक की निर्गमित पूँजी को बढ़ाने का प्रस्ताव है, वहाँ विशेष संकल्प द्वारा महासभा में शेयरधारकों द्वारा अन्यथा निर्णय न लेने पर ऐसे शेयर बैंक के वर्तमान शेयरधारकों को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अभिदान हेतु सबसे पहले ऑफर किए जाएंगे । चूँकि पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयरों का प्रस्तावित आबंटन बैंक के वर्तमान शेयरधारकों को आनुपातिक रूप से नहीं है, अतः उपर्युक्त संकल्प पारित करने की आवश्यकता है। यही नहीं, यह सेबी (आईसीडीआर) विनियम के विनियम 72 के अंतर्गत अपेक्षित भी है।

XIV. उपर्युक्त को देखते हुए, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अधीन, जो निम्नानुसार है:

'केन्द्र सरकार के अलावा प्रतिनिधिक बैंक का कोई भी शेयरधारक प्रतिनिधिक नए बैंक के सभी शेयरधारकों के द्वारा धारित शेयरों के संबंध में दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग रपने हेतु पात्र नहीं होगा और कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 1998 के विनियम 61 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 के अध्याय VII के अनुसार विशेष संकल्प के रूप में उपर्युक्त संकल्प को पारित करने हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन माँगा जा रहा है ।

XV. आपके निदेशक उक्त संकल्प को अनुमोदन हेतु सिफारिश करते हैं

XVI. बैंक के निदेशकों को अपनी व्यक्तिगत हैसियत से या भारत सरकार के नामिती के रूप में बैंक में उनकी शेयरधारिता की हद तक संकल्प की सूचना से संबंधित या हित निहित माना जाए।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते कार्पोरेशन बैंक

(एस. के .दाश)
कंपनी सचिव

स्थान : मंगलूर
दिनांक : 13-02-2013

संबंधित अधिनियम, विनियम आदि का सार :

इस संबंध में क्रमशः यथासंशोधित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम, 1980 की संबंधित धाराएँ तथा कार्पोरेशन बैंक सामान्य विनियम, 1998 शेयरधारकों की सूचनार्थ पुनःप्रस्तुत है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम, 1980 :
मताधिकार पर प्रतिबंध

धारा 3(2ई): केन्द्र सरकार के अलावा प्रतिनिधिक बैंक का कोई भी शेयरधारक प्रतिनिधिक नए बैंक के सभी शेयरधारकों के द्वारा धारित शेयरों के संबंध में दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग रपने हेतु पात्र नहीं होगा ।

बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक मताधिकार प्रयोग करने के पात्र नहीं हैं।

कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 अध्याय II (शेयर तथा शेयर रजिस्टर)

10. संयुक्तधारकों के अधिकारों का प्रयोग –

यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान, लाभांश की प्राप्ति, नोटिस देने तथा शेयर अंतरण को छोडकर बैंक के सभी या कोई अन्य मामले के संबंध में, उस व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा जिसका नाम रजिस्टर में पहले आता हो।

X. All the shares held by the Government of India are in dematerialised mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

XI. The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.

XII. The equity shares issued as above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

XIII. Clause 23 of the Listing Agreement executed by the Bank with the various stock exchanges in India where the Bank's Equity Shares are listed, provide inter-alia that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares, shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a general meeting by a special resolution. As it is proposed to allot fully paid up Equity Share other than on pro rata basis to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also required under Regulation 72 of the SEBI ICDR Regulations.

XIV. In view of the above, approval of the shareholders is sought, subject to provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, which is stated as under:

"No shareholder of the corresponding New Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting right in respect of any shares held by them in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding New Bank" and in terms of the provisions of the Chapter VII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended read with Regulation 61 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, to pass the above Resolution as a Special Resolution.

XV. Your Directors recommend the resolution for your approval.

XVI. The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution of the notice to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity or as nominee of Government of India.

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK

(S. K. DASH)
Company Secretary

Place : Mangalore
Date : 13-02-2013

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, REGULATIONS ETC.

The relevant sections of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended, and the relevant regulations of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, respectively in this regard are reproduced below for information of the shareholders.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1980:

Restrictions on voting rights

Section 3(2E) No Shareholder of the bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the bank.

CORPORATION BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 1998 CHAPTER II (SHARES AND SHARE REGISTER) :

10. Exercise of rights of joint holders-

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matter connected with the Bank, except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

अध्याय IV (शेयरधारकों की बैठक)

61. सामान्य बैठकों में मतदान –

(i) किसी भी महासभा में, बैठक के मताधीन संकल्प मतदान की माँग नहीं की है तो, हस्त प्रदर्शन पर निश्चित किया जाएगा।

(ii) अधिनियम में अन्यथा न दिए जाने पर, महासभा में प्रस्तुत हर मामले का निर्णय मतों के बहुमत के द्वारा लिया जाएगा।

(iii) जब तक उप-विनियम (i) के तहत मतदान की मांग न की जाए, बैठक के अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा कि हस्त प्रदर्शन के द्वारा सर्वसम्मति से या विशिष्ट बहुमत द्वारा संकल्प लिया गया है या नहीं तथा कार्यवाही के कार्यवृत्त के पुस्तकों में इस आशय की प्रविष्टि ऐसे संकल्प के पक्ष में या खिलाफ डाले गए मत की संख्या या अनुपात के प्रमाण के बिना तथ्य का परिणामी साक्ष्य होगा।

(iv) हस्त प्रदर्शन पर किसी संकल्प पर मतदान के परिणाम की घोषणा पर या उससे पहले, एक मतदान का आदेश दिया जाए जो बैठक के अध्यक्ष द्वारा अपने प्रस्ताव के लिए लिया जाएगा तथा उनके द्वारा लिए जाने के लिए आदेश दिया जाएगा यदि इसके लिए किसी शेयरधारक की ओर से या उपस्थित शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा इसकी मांग करें तथा बैंक में शेयर धारित करते हों जो संकल्प पर मतदान करने का अधिकार जो कुल मताधिकार के पाँचवें भाग से कम न हो ।

(v) मतदान हेतु मांग किसी भी समय मांग करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा वापस ली जा सकती है ।

(vi) स्थगन के प्रश्न पर या बैठक के अध्यक्ष के चुनाव की मांग पर मतदान तत्काल किया जाएगा।

(vii) किसी अन्य प्रश्न पर मतदान की मांग को ऐसी मांग करने के समय के अड़तालीस घंटे के अंदर पूरा किया जाएगा जैसा कि बैठक के अध्यक्ष का निर्देश हो।

(viii) किसी भी व्यक्ति के मतदान करने की योग्यता तथा मतदान के मामले में भी मतदान करने हेतु मतों की संख्या के संबंध में किसी भी व्यक्ति की सक्षमता के संबंध में बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय VI (शेयरधारकों का मताधिकार)

68. मताधिकार का निर्धारण–

(i) अधिनियम की धारा 3(2ई) में सम्मिलित प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक जिन्हें महासभा के दिनांक से पहले रजिस्टर की समाप्ति के दिनांक को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, ऐसी बैठक में हस्त प्रदर्शन पर एक वोट प्राप्त होगा तथा मतदान के मामले में उनके द्वारा धारित शेयर के लिए हस्त प्रदर्शन पर एक वोट होगा।

(ii) अधिनियम की धारा 3(2ई) में सम्मिलित प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक जो कंपनी न हो, पूर्वोक्तानुसार मतदान हेतु पात्र है, जो व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो या जो कंपनी होने पर विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो, को हस्त प्रदर्शन पर एक वोट प्राप्त होगा तथा मतदान के मामले में उनके द्वारा धारित शेयर के लिए एक वोट होगा जैसा कि उपरोक्त उप-विनियम (i) में उल्लेख किया गया है।

स्पष्टीकरण- इस अध्याय के लिए, 'कंपनी' का अर्थ है कोई भी निगमित निकाय ।

(iii) महासभा में उपस्थित होने तथा मतदान करने के पात्र बैंक के शेयरधारक उनके स्थान पर उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए अपने प्रॉक्सी के रूप में दूसरे व्यक्ति (शेयरधारक हो या न हो) को नियुक्त का अधिकार होगा; तथापि इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

69. विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान–

(i) शेयरधारक, केंद्र सरकार या कंपनी होने पर, संकल्प द्वारा, यथास्थिति, शेयरधारकों की किसी महासभा में उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु अपने अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करेगा तथा इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति ('विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि' के रूप में उल्लिखित) केंद्र सरकार या कंपनी की ओर से वही अधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र होगा जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, मानो वह बैंक का व्यक्तिगत शेयरधारक हो। इस प्रकार प्रदत्त प्राधिकरण वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है तथा ऐसे मामले में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक केंद्र सरकार/कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य कर सकता है।

(ii) कोई व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने और मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिस बैठक में वह पारित किया गया हो, सत्य प्रति प्रमाणित किया गया हो, बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम **चार** दिनों पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

CHAPTER IV (MEETINGS OF SHARE HOLDERS)

61. Voting at general meetings-

(i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.

(ii) Save as otherwise provided in the Act, every matter submitted to a general meeting shall be decided by a majority of votes.

(iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against, such resolution.

(iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.

(v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.

(vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of chairman of the meeting shall be taken forthwith.

(vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.

(viii) The decision of the chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

CHAPTER VI (VOTING RIGHTS OF SHARE HOLDERS)

68. Determination of voting rights-

(i) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

(ii) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i).

Explanation - For this Chapter, "Company" means any body corporate.

(iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

69. Voting by duly authorised representative-

(i) A shareholder, being the Central Government or a company, may, by a resolution, as the case may be, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a "duly authorised representative" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorisation so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorised representative of the Central Government/company.

(ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

कार्पोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालयः मंगलादेवी मंदिर मार्ग
मंगलूर - 575 001

CORPORATION BANK

Head Office:Mangala Devi Temple Road
MANGALORE – 575 001

असाधारण महासभा हेतु उपस्थिति पत्रक – सह–प्रवेश पत्र
दिनांकः 15 मार्च, 2013 समयः पूर्वाह्न 11.00 बजे

स्थानः सभागृह
सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक
प्रधान कार्यालय, मंगलूर - 575 001

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS
FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
Date : 15th March, 2013 Time :11.00 a.m.

Place : Auditorium
Millennium Building, Corporation Bank
Head Office, Mangalore – 575 001

उपस्थिति पत्रक / ATTENDANCE SLIP

(प्रवेश के समय जमा किया जाए/To be surrendered at the time of entry)

नाम स्पष्ट अक्षरों में/NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member / प्रॉक्सी Proxy)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की संख्या NO. OF SHARES

.....

शेयरधारक/प्रॉक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Signature of Shareholder/Proxy/Representative present

प्रवेश पत्र / ENTRY PASS

नाम स्पष्ट अक्षरों में/NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member / प्रॉक्सी Proxy)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की संख्या NO. OF SHARES

शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि बैठक हाल में प्रवेश हेतु इस उपस्थिति पत्रक –सह–प्रवेश पत्र को विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश–पत्र वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए। फिर भी प्रवेश यथा आवश्यकतानुसार आगे सत्यापन/जाँच के अद्यधीन होगा। किसी भी हालत में बैंठक हाल के प्रवेश द्वार पर उपस्थिति–पत्रक –सह–प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति जारी नहीं की जाएगी।

पुनश्चः बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बाँटे जाएंगे।

Shareholders/Proxy holders/Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass be issued at the entrance to the meeting hall.

P.S.: No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting.

कार्पोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालय: मंगलूर– 575 001

पंजीकृत फोलियो सं. सीबीई..... (यदि डीमेट न किया गया हो)
डीपीआईडी सं. ग्राहक आईडी सं. (यदि डीमेट किया गया हो)

फार्म 'बी'
प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षरित किया जाए)

मैं/हम, _____ राज्य के _____ जिले के _____ का/के निवासी कार्पोरेशन बैंक का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा _____ राज्य के _____ जिले के निवासी श्री/श्रीमती _____ को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर _____ राज्य के _____ जिले के निवासी श्री/श्रीमती _____ को 15 मार्च, 2013 को, सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलूर में आयोजित होने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण महासभा में तथा इसके अधिस्थगन में मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/करते हैं ।

_____ माह के _____ दिन, 2013 को हस्ताक्षरित ।

कृपया पंद्रह पैसे का रसीदी टिकट चिपकाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम धारक/एक मात्र धारक के हस्ताक्षर

नाम : _____

पता : _____

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

1. प्रॉक्सी लिखत वैध होने के लिए यह ज़रूरी है कि,
 क. व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में यह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो ।
 ख. संयुक्त धारकों के मामले में यह सदस्य-रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो ।
 ग. किसी कार्पोरेट निकाय के मामले में यह सामान्य मोहर अगर कोई है, के साथ इसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाएगा या अन्यथा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो ।
2. प्रॉक्सी की कोई लिखत जिस में शेयरधारक के अंगूठे का निशान है, वैध होगी बशर्ते यह कि सी जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार, एश्योरैंस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या कार्पोरेशन बैंक के अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित की गयी हो।
3. प्रॉक्सी के साथ
 क. मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत यह हस्ताक्षरित किया गया या
 ख. नोटरी पब्लिक या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित उस मुख्तारनामा या प्राधिकार की प्रति असाधारण महासभा प्रारंभ होने की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् **शनिवार, 09 मार्च, 2013** को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् **दोपहर 1.30 बजे** तक या उसके पहले कार्पोरेशन बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा की जानी चाहिए ।
4. यदि संबद्ध मुख्तारनामा कार्पोरेशन बैंक या इसके शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या तथा ऐसे पंजीकरण की तिथि उल्लिखित की जानी चाहिए ।
5. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि उस पर विधिवत् स्टैम्प न लगाया जाए ।
6. बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी ।
7. यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप में दो प्राप्तिकर्ताओं के पक्ष में प्रदान की गई है तो एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
8. शेयरधारक जिसने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, ऐसी लिखत जिस बैठक से संबंधित है उसमें व्यक्तिगत रूप से वोट डालने का हकदार नहीं होगा।
9. कार्पोरेशन बैंक के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
10. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि यह फार्म ''बी'' में न हो।

CORPORATION BANK

Head Office : Mangalore – 575 001

Regd. Folio No.CBE…… (If not Dematerialised)
DPID No. …… Client ID No. …….. (If Dematerialised)

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

I/We, _____ Resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/s of CORPORATION BANK, hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____ _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of the shareholders of the Bank to be held on 15th day, the March 2013, at MILLENNIUM BUILDING, CORPORATION BANK, HEAD OFFICE, MANGALORE and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2013.

Please affix fifteen paise revenue stamp

Signature of the Proxy

Signature of the first holder/sole holder

Name : _____

Address : _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. The instrument of proxy to be valid,
 a. in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing
 b. in the case of joint holders, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing
 c. in the case of a body corporate, shall be signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar of Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Corporation Bank.
3. The proxy together with
 a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Corporation Bank, not later than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before closing hours i.e. **1.30 p.m. of Saturday 9th March, 2013**.
4. In case the relevant power of attorney is already registered with Corporation Bank or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. No proxy shall be valid unless it is duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of CORPORATION BANK.
10. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

बुक पोस्ट
BOOK POST

अवितरित होने पर कृपया निम्न पते पर लौटाएं:

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड

यूनिट: कार्पोरेशन बैंक
प्लाट नं. 17-24
विठ्ठल राव नगर
माधापुर
हैदराबाद – 500 081
टोल फ्री नं. 1-800-3454-001
ई.मेल: einward.ris@karvy.com
निवेशक शिकायत ई–मेल: isd@corpbank.co.in

If undelivered please return to:

KARVY COMPUTERSHARE PVT. LTD.

Unit: Corporation Bank
Plot No. 17-24
Vittal Rao Nagar
Madhapur
Hyderabad – 500 081
Toll free No. 1-800-3454-001
E-mail: einward.ris@karvy.com
Investor Grievances E-mail: isd@corpbank.co.in